टी0ए0 मिस केस सं0 355/2020-21

| दिनांक | आदेश | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 10 02/2021 | अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **रामय मुण्डा, पिता/पति– कबीरा मुण्डा, ग्राम–जोड़ापोखर**, थाना– **झींकपानी**, जिला–**पश्चिमी सिंहभूम** चाईबासा ने मौजा– **जोड़ापोखर**, थाना नं0– **603**,खाता न0– **326**,प्लॉट न0–**2541**,रकवा– **06डी० 500वर्गकड़ी** भूमि क्रेता **सरिता अल्डा, पिता/पति– सोंगा अल्डा, ग्राम– बिस्टुम्पुर**, थाना– **झींकपानी**, के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तुक(ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।<br><br>अंचल अधिकारी, झींकपानी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के स्वंय के नाम पर नामान्तरण वाद संख्या–53/R27/2016–17 द्वारा नामान्तरित होकर है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।<br><br>अंचल अधिकारी, झींकपानी का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक **23**,दिनांक **18.01.2021** के द्वारा प्राप्त है। मकान निर्माण हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **सरिता अल्डा, पिता/पति– सोंगा अल्डा, ग्राम– बिस्टुम्पुर**, थाना– **झींकपानी**, के पास **2,25,000.00/–(दो लाख पचीस हजार रुपये)मात्र।** में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है।<br><br>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी **3.00** एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।<br><br>अतः अंचल अधिकारी, झींकपानी एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **रामय मुण्डा, पिता/पति– कबीरा मुण्डा, ग्राम–जोड़ापोखर**, थाना– **झींकपानी**, जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **जोड़ापोखर**, थाना नं0– **603**, खाता न0– **326**, प्लॉट न0–**2541**, रकवा– **06डी० 500वर्गकड़ी**, भूमि को क्रेता **सरिता अल्डा, पिता/पति– सोंगा अल्डा, ग्राम– बिस्टुम्पुर**, थाना– **झींकपानी**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तुक(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....अनुमति.... दी जाती है।<br><br>लेखापित<br><br>10/2<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता<br>सदर चाईबासा।<br><br>10/02/2021<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता<br>सदर चाईबासा। | |

RajRamanGope

Scanned with CamScanner